राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—4493 / 2024

जगदीश

—अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा, अलवर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Thengi ka Bas, ब्लॉक रामगढ, जिला अलवर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 10.01.2025

<u>उपस्थित —</u>

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी की ओर से इस अपील में यह सीमित प्रार्थना की गयी है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रत्यर्थी विभाग को जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, उसे अभी तक निर्णित नहीं किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का अभ्यावेदन निर्णित करने के लिये प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाएं।
3. अपीलार्थी की उपरोक्त प्रार्थना पर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन (अनुलग्नक—2) का निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग आगामी तीन सप्ताह की अवधि में करना सुनिश्चित करें। इस आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)